


फर्द अहकाम

यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

क्रमांक :- 329/2014

रईस बनाम अब्दुल रसीद

क्रमांक आजा गरीवाही 2024	आजा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिक्री बनकर पेश हुए हैं। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति वादी/प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं हुई है।</p> <p>अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्तावों को बाद अनुमोदन डिक्री की पालना हेतु भेजा जावे। अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव इस आदेश एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।</p> <p>विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	